कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, नागौर–II

(प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर–342304, राजस्थान)

निविदा प्रपत्र

केन्द्र पर विभिन्न प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को वित्तिय वर्ष 2023–24 में चाय, नाश्ता तथा खाना उपलब्ध कराने की निविदा सूचना कमांकः **एफ/के.वी.के /मौलासर/टेन्डर/2023–24/**10-11 **दिनांकः–20.04.2023**

NIB Code- JAU2324A0016

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ....

   ....

2. फोन नम्बर.. आधार नं...

3. निविदादाता की पंजिकरण संख्या ....

4. निविदा फीस रू...रसीद संख्या...................................दिनांक को कार्यालय में जमा करवा दी गई है।

5. धरोहर राशि रू......................................नकद रसीद संख्या..............................दिनांक...के द्वारा कार्यालय में जमा करवा दिये है। रसीद की फोटो प्रति संलग्न है।

क्र. सं.	प्रशिक्षण	अधिकतम स्वीकृत दर	मेन्यू	मेन्यू की दरें प्रति प्रशिक्षणार्थी
1.	आवासीय संस्थागत प्रशिक्षण	150/– प्रति व्यक्ति	सुबह चाय (150 एमएल), नाश्ता (कचौरी या पोहा, बिस्किट 65 ग्राम), दोपहर तथा रात्रि भोजन (दाल, सब्जी, रोटी/पूड़ी, सलाद, आचार, हलवा/लापसी/मिठाई) तथा शाम को चाय (150 एमएल)	
2.	गैर–आवासीय प्रशिक्षण, किसान गोष्ठी व प्रक्षेत्र दिवस/अन्य प्रसार गतिविधियाँ	75/– प्रति व्यक्ति	सुबह चाय (150 एमएल), दोपहर भोजन (दाल, सब्जी, रोटी/पूड़ी, सलाद, आचार, हलवा/लापसी/मिठाई)	
3.	संस्थागत/असंस्थागत विशेष प्रशिक्षण/बैठक/मेला आदि	150/–प्रति व्यक्ति	सुबह चाय (150 एमएल), नाश्ता (कचौरी या पोहा, बिस्किट 65 ग्राम), दोपहर का भोजन (दाल, सब्जी, रोटी/बाटी, हलवा/चुरमा, सलाद, आचार, मिठाई) तथा शाम को चाय (150 एमएल)	
4.	आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण	10/– प्रति व्यक्ति	चाय (150 एमएल)	
5.	आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण	30/– प्रति व्यक्ति	चाय (150 एमएल), नाश्ता (कचौरी /पोहा, बिस्किट 65 ग्राम, केला/फल)	

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित निर्देशों के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं शब्दों व अंकों दोनों में स्पष्ट लिखी होनी चाहिए तथा किसी भी तरह की कांट–छांट वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा दरें चाय, नाश्ता तथा भोजन हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देनी होगी।

3. भोजन की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी द्वारा दी गई जगह पर की जाएगी, अतः निविदादाता द्वारा दरें गन्तव्य स्थान तक प्रस्तुत करनी चाहिए। अतिरिक्त गाड़ी भाड़ा या अन्य परिवहन प्रभार का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

4. निविदादाता को दरें निर्धारित प्रपत्र में मीनू के अनुसार चाय, नाश्ता तथा भोजन की दर संयुक्त रूप से देनी होगी।

5. धरोहर राशि रूपये 10000/– अक्षरे दस हजार मात्र जमा करवानी होगी, इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के पश्चात् लौटाई जाएगी।

Scanned with CamScanner

7. चाय, नाश्ता तथा भोजन मीनू के हिसाब से तथा सही समय पर ही देना होगा तथा खाने में सभी सामग्री अच्छी किस्म की उपयोग करने हेतु निविदादाता बाध्य होगा।

8. भोजन आदि की व्यवस्था कार्यालय या सक्षम अधिकारी द्वारा बताए गए स्थान पर करनी होगी जिस हेतु निविदादाता को किसी भी प्रकार का अन्य भाड़ा या परिवहन व्यवस्था देय नहीं होगी।

9. चाय, नाश्ता तथा भोजन के बर्तन व अन्य आवश्यक सामान निविदादाता का होगा तथा खाना केन्द्र पर ही बनाना होगा।

10. निविदादाता को बचा खुचा खाना व अन्य कचरा नियत स्थान पर ही डालना होगा तथा सफाई व्यवस्था को पूर्ण ध्यान रखना होगा।

11. अगर कोई विवाद हुआ तो सभी न्याय क्षेत्र नागौर न्यायालय होगा।

12. स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ग्लास के साथ निविदादाता द्वारा ही की जाएगी। पानी आर.ओ. फिल्टर होना चाहिए।

13. निविदादाता द्वारा नाश्ता या भोजन की व्यवस्था हेतु न्यूनतम व्यक्तियों की शर्त मान्य नहीं होगी तथा कार्यालय द्वारा जब भी जितने व्यक्तियों के नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था के लिये कहा जाए निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।

14. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष को होगा।

15. फर्म/ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति को नहीं सौंपेगा तथा भाड़े पर नहीं देगा।

16. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर आगामी 31.03.2024 तक मान्य होगी।

17. निविदादाता द्वारा चाय व भोजन तथा सांय भोजन अपने स्तर से सम्पर्क कर देना होगा। चाय व भोजन अधिक बनाने पर उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

18. भोजन बनाने में काम आने वाली समस्त सामग्री एवं बर्तन आदि निविदादाता के होंगे।

19. क्रय कमेटी एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना बताये अस्वीकृत कर सके।

20. निविदा हेतु हेल्थ विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तथा पंजीकृत फर्म होना अनिवार्य है। हेल्थ विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस की समय अवधि दिनांक 31.05.2023 तक समाप्त हुई नहीं होनी चाहिए तथा बिक्री प्रमाण पत्र में खाद्य पदार्थ आपूर्ति का उल्लेख होना आवश्यक होगा।

Singh

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र
मौलासर नागौर - II

Scanned with CamScanner

निविदादाता की घोषणा प्रपत्र

1. कार्य का वितरण : चाय, नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था हेतु संविदा दर।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति /फर्म/व्यापारी का नाम व पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर ....
....
....

3. निविदादाता की फर्म का जीएसटी नम्बर .... (संलग्न है।)

4. हेल्थ विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस सं. .... (संलग्न है।)

5. निविदा पत्र शुल्क रू.................................... रसीद सं..................... दिनांक .... को कार्यालय में जमा करवा दी गई है।

6. धरोहर राशि रू... रसीद सं./डीडी सं................................. दिनांक को कार्यालय में जमा करवा दी गई है।

7. मैंने कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, नागौर द्वारा की जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न निविदा की शर्तों एवं अतिरिक्त शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया हैं जिसके लिये मैं बाध्यू हूं तथा मैं उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

8. मैं निम्नलिखित कार्य को उनके सम्मुख अंकित दर (सभी करों एवं खर्चे सहित) करने एवं देने को सहमत हूं।

9. निविदादाता द्वारा दी गई दरें दिनांक 31.03.2024 तक मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता की घोषणा

मैं यह घोषण करता हूं कि जिस कार्य के लिये निविदा की गई है उसका मेरे/फर्म के पास कार्य का पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो मेरी धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है तथा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner